



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 607) पटना, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

12 जुलाई 2021

सं०सं०-05/स्था०-(डी०टी०ओ०-निजी)-01-07/2019-3908—श्री रजनीश लाल, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-23/2021, दिनांक-22.06.2021 धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी), भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम -2018) दर्ज किये जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-6900, दिनांक-09.07.2021 द्वारा श्री रजनीश लाल को संकल्प निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया गया है। इनके निलंबन के फलस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का पद रिक्त हो गया है। उक्त के आलोक में श्री लाल ज्योतिनाथ शाहदेव, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री शाहदेव को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 607-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>